संख्या- 207 / 2016/ 2463/चार-2016-139(वि)/2016

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर , 2016

विषय:-क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के मद से सम्बन्धित प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2058/सं0नि-15(39)/2016-17, दिनांक 10 नवम्बर , 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के मद से सम्बन्धित प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु धनराशि रू0 31.79 लाख (रूपये इक्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त धनराशि रू0 31.79 लाख (रूपये इक्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखी जाती है:-

क्रमांक	विवरण	स्थल	प्रस्तावित राशि लाख में
1	क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	इलाहाबाद	2.00
2	क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	वाराणसी	2.00
3	क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	फैजाबाद	2.00
4	नियमित कार्यक्रम-सुबह- ए-बनारस	वाराणसी	3.00
5	नियमित कार्यक्रम-बुढवा मंगल-2016	वाराणसी	4.00
	बुढवा मंगल- 2017		4.00
6	क्षेत्रीय अंचलों की विशिष्टि शैली के साथ शास्त्रीय/उपशास्त्रीय/सुगम संगीत के कार्यक्रम-दो कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम	लखनऊ एवं अन्य स्थल	14.79
	योग- रूपये इक्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र		31.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उपरोक्त धनराशि का आहरण नियमानुसार यथाआवश्यकतानुसार कोषागार से किया जायेगा। धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्य के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमो पर व्यय का विवरण बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 31.79 लाख (रूपये इक्तीस लाख उन्यासी हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-16-नए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रो की स्थापना-42-अन्य व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा। ।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या- 207 / 2016 /2463 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।